



प्रेस नोट 01- दिनांक 28.07.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

जनसेवा केन्द्र संचालक के साथ लूट करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गया बैग व 15,150/- रु0 नकद सहित अन्य सामान तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की गई

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 23.07.2024 को वादी मुकदमा श्री शिवम वर्मा पुत्र बुद्धीपाल निवासी हुलाशखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव ने थाने पर लिखित सूचना दिया कि मैं बाबाखेड़ा चौराहा रायबरेली रोड पर किशन यादव के मकान में विगत दो वर्षों से जनसेवा केन्द्र चलाता हूँ। दिनांक 22.07.2024 की शायं करीब 9.15 बजे रोजाना की तरह दुकान बन्द कर अपने घर जा रहा था। रास्ते में संदीप होटल बहद ग्राम पोटरिहा के पास मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मेरे साथ मारपीट कर हाथ में पहने कड़े से घायल कर दिया तथा जमीन पर गिरने पर पीठ पर टंगा बैग जिसमें रखे 30,000 रुपये, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, पर्स एवं मोटर साइकिल की चाभी लेकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 486/2024 धारा 309(6)BNS पंजीकृत किया गया तथा अपराध की विवेचना उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी ललऊखेड़ा थाना कोतवाली उन्नाव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण- पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 22.07.2024 को जन सेवा केन्द्र संचालक के साथ घटित लूट की घटना में पंजीकृत अभियोग के संदर्भ में टीमों का गठन कर घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण हेतु निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देशों के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली सदर पुलिस, थाना दही पुलिस, स्वाट व संविलांस की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, बीटीएस व मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में दो मोटर साइकिल पर सवार 06 अभियुक्तगण की संलिप्तता पायी गयी। आज दिनांक 28.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल अभियुक्तगण 1. अंकित दीक्षित पुत्र विश्वकांत दीक्षित नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता 454 मोतीनगर थाना कोतवाल सदर उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष 2. आकाश तिवारी उर्फ मोनू पुत्र रज्जन लाल नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष 3. अंशुल गौतम पुत्र धर्मेन्द्र गौतम नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष 4. विशाल निषाद पुत्र राजू निषाद नि0 सरैया थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम डीह वाले रास्ते पर स्थित पीपल के पेड़ के पास से अन्तर्गत धारा 310(2)/311/317(3) BNS में गिरफ्तार किया गया तथा 5. एक बालअपचारी को नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटा गये बैग व नगद 15,150/- रुपये एवं घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटर साइकिल हाण्डा साइन व अपाचे मौके से बरामद की गई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से क्षेत्र में घटित अन्य

घटनाओं के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगो ने दिनांक 22.07.2024 की शाम करीब 9.15 बजे जनसेवा केन्द्र संचालक शिवम वर्मा के साथ लूटपाट की थी तथा विशाल निषाद व अंशुल गौतम ने दिनांक 14.07.2024 को शायंकाल में थाना माखी में स्थित पवई नहर पुल के पास से एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति से मारपीट कर चांदी व नगद रुपये लूटे थे **(जिसके संदर्भ में थाना माखी पर मु0अ0सं0 209/24 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है)**। अभियुक्तगणों को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार उन्नाव भेजा जा रहा है तथा शेष वांछित अभियुक्त मैन्डी पुत्र सुशील निवासी सर्वोदय नगर मिश्रा आटो सेंटर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंकित दीक्षित पुत्र विश्वकांत दीक्षित नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता 454 मोतीनगर थाना कोतवाल सदर उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष
2. आकाश तिवारी उर्फ मोनू पुत्र रज्जन लाल नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष
3. अंशुल गौतम पुत्र धर्मेन्द्र गौतम नि0 कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष
4. विशाल निषाद पुत्र राजू निषाद नि0 सरैया थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-

1. लूट के 15,150 रुपये
2. एक अदद काले रंग का पिट्टू बैग
3. एक अदद काले रंग का पर्स
4. दो अदद पैन कार्ड
5. एक अदद डेबिट कार्ड
6. एक अदद मोटर साइकिल टीवीएस की चाबी
7. घटना में प्रयुक्त ए अदद कड़ा रंग पीला
8. दो अदद मोटर साइकिल हाण्डा साइन UP 35 BF 1988 व अपाचे UP 35 Z 5893

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः

अंकित दीक्षित पुत्र विश्वकांत दीक्षित – मु0अ0सं0 189/21 धारा 13 जुंआ अधि0 थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

अंशुल गौतम पुत्र धर्मेन्द्र गौतम – मु0अ0सं0 46/23 धारा 308/323/354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अचलगंज उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली सदर टीम- प्र0नि0 प्रमोद कुमार मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव, उ0नि0 अरविन्द कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी ललऊखेड़ा थाना कोतवाली उनाव, उ0नि0 प्रवीण पुंज चौकी प्रभारी अस्पताल थाना कोतवाली उन्नाव, हे0का0 भालचन्द्र, हे0का0 अख्तर अली, हे0का0 भइयालाल, हे0का0 संजीव कुमार, का0 राजेश सिंह, का0 शेर सिंह

थाना दही टीम - प्र०नि० अनुराग सिंह थाना दही, हे०का० रामदेव प्रजापति, का० अंकुर कुमार, का० कृष्ण प्रताप सिंह, हे०का० नरेन्द्र सिंह, का० प्रमोद कुमार, का० विजेन्द्र सिंह, का० सुनील यादव

स्वाट एवं सर्विलांस टीम- निरी० श्री जय प्रकाश यादव प्रभारी स्वाट टीम उन्नाव, हे०का० सुनील कुमार, हे०का० आशीष मिश्र, हे०का० सत्येन्द्र कुमार, हे०का० राधेश्याम (सर्विलांस सेल), का० रवि कुमार, का० गौरव कुमार, का० विकास भदौरिया

